न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 39/2019

1. शीला देवी पत्नी दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

1. बिरमादेवी पत्नी रामकुमार
2. राममूर्ति पत्नी सुरेन्द्र कुमार
3. नरसी पुत्र सुरेन्द्र कुमार
4. रानी पुत्री सुरेन्द्र कुमार
5. अमरसिह पुत्र भजनलाल
6. हरिसिह पुत्र सहीराम
7. राजेन्द्र पुत्र सहीराम
8. वकीलचन्द पुत्र बनवारीलाल

जाति बिश्नोई निवासी तन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री गुरविन्द्रसिह अधिवक्ता वादीगण
श्री परमजीतसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 15-07-2019

वादीया शीलादेवी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया एंवम् प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 व इन्द्र कुमार पुत्र भजनलाल के नाम से संयुक्त खाता मे चक नं0 8 एफटीपी बी के खाता सं0 103/75 जमाबन्दी संवत 2072 ता 75 में कुल 8.602 है0 कृर्षि भूमि मय गै0मु0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादीया के नाम से 1.088 है0 भूमि दर्ज है।

वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी में वादीया का 1.088 है0 भूमि का हक व हिस्सा है। खाता हाजा में दर्ज इन्द्रकुमार पुत्र भजनलाल लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका वादीया द्वारा ग्राम पंचायत के संरपच से जारी प्रमाण पत्र व इन्द्रकुमार का मृत्यू प्रमाण पत्र भी पेश किया है। मुताबिक हस्सा वादीया के कब्जा काश्त व आधिपत्य में वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी चली आ रही है जिस पर वादीया काबिज चली आ रही है लेकिन वादीया की भूमि का खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रहने से वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे विवाद बना रहता है। इसलिए वादीया वादपत्र की दफा 2 में दर्ज अपने हिस्सा की आराजी का खाता अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहती है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज वादीया के कब्जा काश्त की आराजी का खाता अलग से कायम करवाने व रकम राज अलग से कायम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री परमजीत अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण सं 1 ता 8 द्वारा वादीया के वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया कि वादीया द्वारा वादपत्र की दफा 1 ता 8 स्वीकार है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में हम प्रतिवादीगण के हिस्सा

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

की भूमि वादीया के साथ संयुक्त खाता मे दर्ज है। मुताबिक काउन्टर क्लेम में वर्णित हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम तथा प्रतिवादीसं0 9 स्टेट की ओर से जबाबदावा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किये गये।

वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में अपना साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादीया द्वारा अपने वाद के साथ जमाबन्दी, इन्द्र कुमार का मृत्यू प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत द्वारा जारी इन्द्रकुमार के लाऔलाद फौत होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध में न तो कोई सबूत व ना ही कोई साक्ष्य पेश की गई। प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की कृर्षि भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज है तथा वादीया अपने हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की आराजी पर वादपत्र की दफा 3 के अनुसार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। वादीया अपने कब्जा काश्त की आराजी का खाता प्रतिवादीगण से अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम में वादीया के वाद को स्वीकार किया गया है व वादीया के वाद का कोई विरोध प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया। मुतातिबक जबाबदावा वाद वादीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीया व प्रतिवादीगण तथा इन्द्रकुमार के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। वादीया द्वारा अपनी भूमि की जमाबन्दी, इन्द्र कुमार का मृत्यू प्रमाण पत्र व संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत तथा साक्ष्य के रूप में अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया व प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया गया है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम में उन्होने कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किये है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद स्वीकार किये व साक्ष्य व सबूत के अभाव में प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारीज किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 8 एफटीपी बी जमाबन्दी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 103/75 के प0न0 201/254 मु0 44 किलानं0 5,6,/.506 है0, 7/.076 है0, 15,16/.506 है0 कुल 1.088 है0 कृर्षि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादीया की भूमि का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने व शेष खाता प्रतिवादीगण व इन्द्र कुमार का बदस्तुर रखेजाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टरक्लेम खारीज किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक.....15.02.2019.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–39/2019

1. शीला देवी पत्नी दलीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम्

1. बिरमादेवी पत्नी रामकुमार
2. राममूर्ति पत्नी सुरेन्द्र कुमार
3. नरसी पुत्र सुरेन्द्र कुमार
4. रानी पुत्री सुरेन्द्र कुमार
5. अमरसिह पुत्र भजनलाल
6. हरिसिह पुत्र सहीराम
7. राजेन्द्र पुत्र सहीराम
8. वकीलचन्द पुत्र बनवारीलाल

जाति बिश्नोई निवासी तन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री गुरविन्द्रसिह वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री परमजीतसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 8 एफटीपी बी जमाबन्दी संवत 2072 ता 75 के खाता सं0 103/75 के प0न0 201/254 मु0 44 किलानं0 5,6,/.506 है0, 7/.076 है0, 15,16/.506 है0 कुल 1.088 है0 कृर्षि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादीया की भूमि का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने व शेष खाता प्रतिवादीगण व इन्द्र कुमार का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारीज किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15-02-2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner